न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 164/2023

1. धारूलाल पुत्र श्री गोकूलाल जाति भांगी निवासी ग्राम फारकिया तहसील श्रीनगर जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 12/02/25

उपस्थितः श्री भागीरथ चौधरी प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री भागीरथ चौधरी के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0नं0 102/1 क्षेत्रफल 1.2135 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का टिकावड़ा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है, जिस पर प्रार्थी कृषि कार्य करके अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में आने जाने हेतु व कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण ट्रेक्टर, हल इत्यादि लाने ले जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई आम रास्ता अंकित नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम टिकावड़ा में स्थित ख0नं0 1162/5 जो कि आने जाने वाला राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकित है से होते हुए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 149/138 गै0मु0 हरड़ी में से होकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 102/1 में काश्त करने हेतु नजरी नक्शे में वर्णितानुसार आवागमन हेतु सदियों पुराना जो रास्ता अवस्थित है से आता जाता है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन अमल दरामद तरमीम नहीं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते का राजस्व मानचित्र में कायम करते हुए अंकन दरामद व तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। उक्त वर्णित रास्ते का प्रचलित राजस्व रिकार्ड एवं मानचित्र में अंकन, अमल दरामद तरमीम नहीं होने से अप्रार्थी प्रार्थी के उक्त आवागमन के रास्ते में आये दिन बाधा, व्यवधान, हस्तक्षेप करते रहते है। प्रार्थी उक्त रास्ते के आवागमन हेतु आने वाली भूमि का नियमानुसार प्रतिफल राशि अप्रार्थी को अदा करने, माननीय न्यायालय में जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 149/138 गै0मु0 हरड़ी में से होते हुए एक मात्र रास्ता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ख0नं0 149/138 अप्रार्थी राजस्थान सरकार की होने से उन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाना आवश्यक हुआ एवं अप्रार्थी की भूमि के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण उक्त खसरे में से प्रार्थी ने आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता दिलवाने हेतु एवं दिलवाये जाने वाले रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व मानचित्र में अंकन, तरमीम, अमल दरामद करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3.1 अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई राजस्व रिकार्ड में रास्ता नहीं है। उक्त भूमि में आवागमन ग्राम टिकावड़ा के ख0नं0 1162/5 गै0मु0 रास्ता से ग्राम रघुनाथपुरा के ख0नं0 149/138 सिवायचक से होकर आवगामन हो रहा है। अप्रार्थी तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा कार्यालय पत्रांक 4107 दिनांक 06.10.2023 को बिन्दुवार रिपोर्ट पेश कर अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 102/1 में आवागमन हेतु 30 फीट चौड़े रास्ते के लिये आराजी ख0नं0 149/138 रकबा 1.3915 हैक्टेयर में से 0.0129 हैक्टेयर भूमि आवागमन हेतु प्रभावित है। उपरोक्त भूमि की वर्तमान राजस्व डी0एल0सी0 दर 551680/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। आवेदित भूमि में आवागमन हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त राजस्व रिकॉर्ड मे निकटतम रेकार्डेड रास्ता नहीं है। जिसका नजरी मानचित्र हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है, जो निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

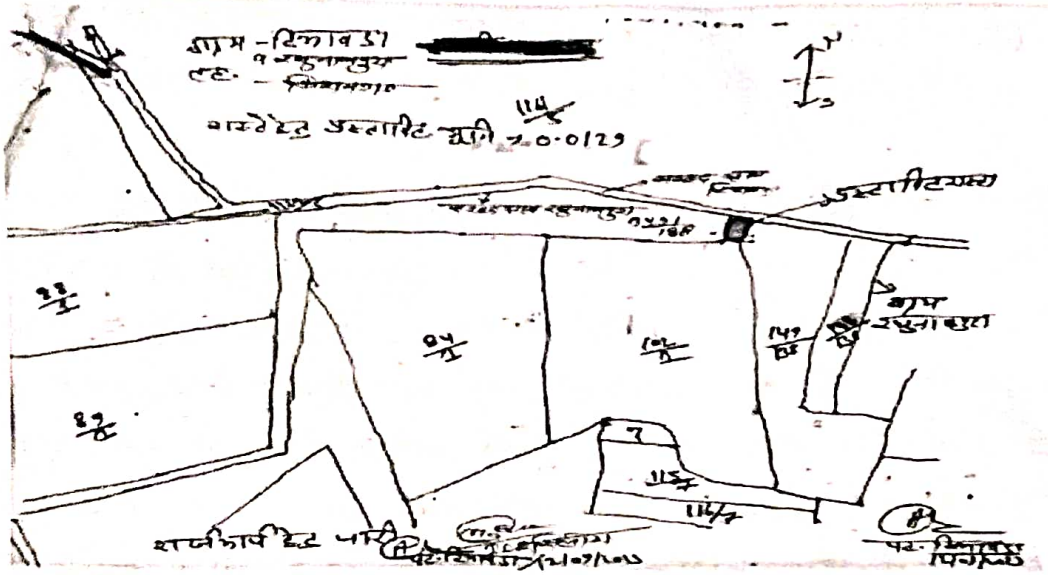

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु व कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण ट्रेक्टर, हल इत्यादि लाने ले जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई आम रास्ता अंकित नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम टिकावड़ा में स्थित ख0नं0 1162/5 जो कि आने जाने वाला राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकित है से होते हुए अप्रार्थी की ग्राम रघुनाथपुरा स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 149/138 गै0मु0 हरड़ी में से होकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 102/1 में काश्त करने हेतु नजरी नक्शे में वर्णितानुसार आवागमन करता है किन्तु उक्त वर्णित रास्ते का प्रचलित राजस्व रिकार्ड एवं मानचित्र में अंकन, अमल दरामद तरमीम नहीं होने से अप्रार्थी प्रार्थी के उक्त आवागमन के रास्ते में आये दिन बाधा, व्यवधान, हस्तक्षेप करते रहते है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 149/138 गै0मु0 हरड़ी में से होते हुए एक मात्र रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी की ग्राम रघुनाथपुरा स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 102/1 रकबा 1.2135 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 102/1 में आवागमन ग्राम टिकावड़ा के रिकार्डेड रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

ख0नं0 1162/5 किस्म गै0मु0 रास्ता से होते हुए अप्रार्थी की ग्राम रघुनाथपुरा स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 149/138 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम रघुनाथपुरा स्थित अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 149/138 में से ही प्रार्थीया का वर्तमान में आवागमन है। अतः प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता नहीं होने के कारण अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 149/138 रकबा 1.3915 हैक्टेयर में से 30 फीट चौड़े रास्ते हेतु रकबा 0.0129 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 551680/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0129 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 7117/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 14234/– रू0 होती है, जो प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित खसरा नम्बर के खातेदार को तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से देय होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0129 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 14234/– रू0 अक्षरे चौदह हजार दो सौ चौतीस रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने के पश्चात् आप उक्त रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0.129 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुनील कुमार चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)